पत्रक/माहिती पुस्तिका क्रमांक : ४०

“प्रारंभ”

नवाचार और उद्यमिता का विलय

संकलन एवं संपादन
डॉ.राजीव बी. काले
डॉ.कल्याणी गोरेपति
डॉ. भूषण बिब्वे
डॉ. राजकुमार दगड़खैर
डॉ.रोहिणी भठ
डॉ.विजय महाजन

कृषि-व्यवसाय उद्भवन केंद्र
भा.कृ.अनु.प.-प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय
राजगुरुनगर, पुणे - 410 505 (महाराष्ट्र)

कृषि-व्यवसाय उद्भवन केंद्र के बारे में

भा.कृ.अनु.प.- प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय (डी.ओ.जी.आर.) एक निपुण संस्थान है जो प्याज और लहसुन के लाभदायक और टिकाऊ उत्पादन के लिए आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, फसल सुधार, उत्पादन और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों पर बुनियादी, रणनीतिक और व्यावहारिक अनुसंधान को लक्षित करता है। भा.कृ.अनु.प.-डीओजीआर ने विभिन्न प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जो हितधारकों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं।

भा.कृ.अनु.प.-डी.ओ.जी.आर. में कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेशन (ए.बी.आई.) केंद्र को वर्ष 2019 में आईसीएआर इन्क्यूबेशन फंड (घटक II) द्वारा आईपी एंड टीएम इकाई, आईसीएआर यानी राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि (एनएआईएफ) की बारहवीं योजना के तहत मंजूरी दी गई थी।

ए.बी.आई. केंद्र के माध्यम से, भा.कृ.अनु.प.-डी.ओ.जी.आर. संभावित उद्यमियों को स्थायी व्यावसायिक स्थापना के लिए तकनीकी सहायता, परामर्श, बुनियादी ढांचा सुविधा, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करके समर्थन प्रदान करेगा।

उद्देश्य

उद्देश्य

१ कृषि-व्यवसाय विकास के लिए इन्क्यूबेशन सुविधा और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

२ हितधारकों के सहयोग से प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना।

३ कृषि व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र में भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।

उपलब्ध सेवाएं

01 कार्यालय तथा प्रयोगशाला सुविधा

02 परामर्श सेवाएं

03 औद्योगिक संपर्क

04 वैज्ञानिक सेवाएं

05 व्यापार सहायता

06 क्षमता विकास और प्रशिक्षण

पात्रता का मापदंड

नए उद्यमी

किसान उत्पादक कंपनियां

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग

स्टार्ट-अप

कृषी उद्यमी

स्वयं सहायता समूह

जैविक एवं सटीक खेती

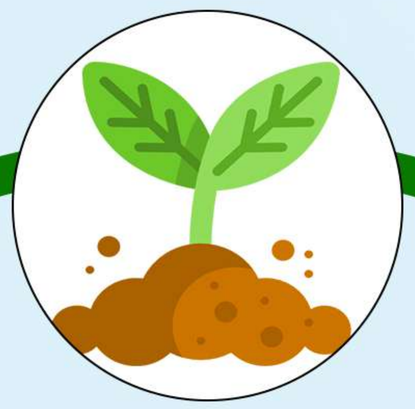

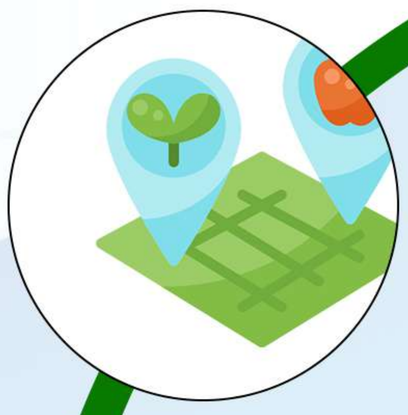

कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और आईसीटी

कृषि क्लिनिक और फार्म स्वास्थ्य सेवाएँ

प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र

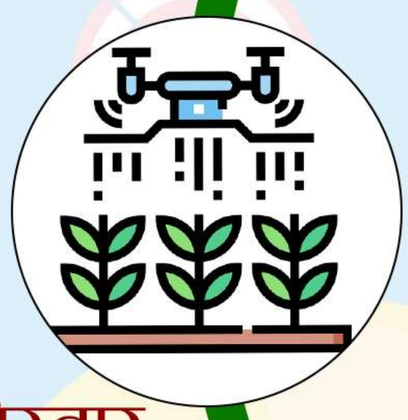

कृषि विस्तार शिक्षा

कृषि आपूर्ति श्रृंखला

कृषि अभियांत्रिकी

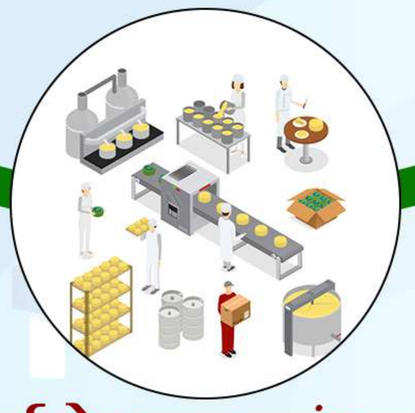

कटाई के बाद प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण

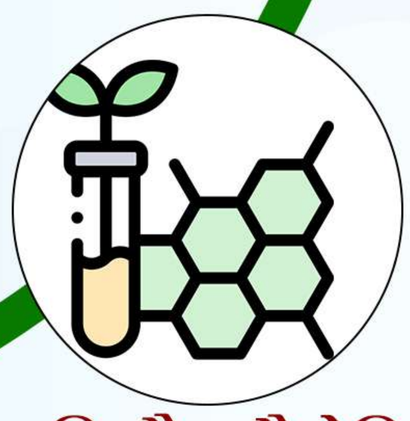

कृषि जैव प्रौद्योगिकी

नेटवर्किंग

नेटवर्किंग

फर्म की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और बाजार में प्रवेश पाने में मदद।

ऊष्मायन की प्रक्रिया के दौरान उद्यमियों को नियमित कार्यात्मक सहायता।

विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ विभिन्न अनुदान योजनाओं को सुरक्षित करने के लिए सहायता।

ब्रांडिंग, प्रमाणन और विपणन के लिए सलाह और मार्गदर्शन।

उद्यवन पूर्ति

कंपनी का राजस्व प्रवाह आत्मनिर्भरता के लिए पर्याप्त है

उद्यमियों ने यह उद्यम एक बड़ी कंपनी को बेच दिया है

उद्यमी उद्यम की विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए निवेशकों को जोड़ने में सक्षम हैं और इनक्यूबेटर समर्थन अब आवश्यक नहीं है

लाइसेंस अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति

व्यावसायीकरण के लिए भाकृअनुप-प्याज एवं लहसुन निदेशालय अनुसंधान की प्रौद्योगिकियां

प्याज एवं लहसुन की किस्में

निदेशालय ने प्याज की दस और लहसुन की दो किस्में विकसित की हैं। उपलब्ध जर्मप्लाज्म में आनुवंशिक सुधार और चयन पर इन किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जाता है। दस से अधिक कंपनियों ने बीजउत्पादन के लिए गैर-अनन्य लाइसेंस लिया है और भाकृअनुप-प्याज एवं लहसुन निदेशालय अनुसंधान द्वारा विकसित प्याज की किस्मों का विपणन सफलतापूर्वक व्यापार बड़ा रहा है।

भीमा लाइट रेड
(मौसम - रबी)

भीमा डार्क रेड
(मौसम - खरीफ)

भीमा राज
(मौसम - खरीफ, पछेती खरीफ और रबी)

भीमा रेड
(मौसम - खरीफ, पछेती खरीफ और रबी)

भीमा सुपर
(मौसम - खरीफ और पछेती खरीफ)

भीमा किरण
(मौसम - रबी)

भीमा शक्ति
(मौसम - खरीफ और रबी)

भीमा श्वेता
(मौसम - खरीफ और रबी)

भीमा शुभ्रा:
(मौसम - खरीफ और पछेती खरीफ)

भीमा सफेद
(मौसम - खरीफ)

भीमा ओंकार:
(मौसम - रबी)

भीमा पर्पल:
(मौसम - रबी)

किस्मों का लाइसेंस

बीज व्यवसाय में रुचि रखने वाले इनक्यूबेटियों को किस्मो का लाइसेंस एक समझौता ज्ञापन पर हतास्क्षर करके निदेशालय द्वारा विकसित प्याज एवं लहसुन की किस्मे दी जा सकती है। इसके लिए एक लाख रूपये (रु.1,00,000/-) का लाइसेंस शुल्क निदेशालय के आई.टी.एम.यू अनुभाग, में जमा करना अनिवार्य है।

व्यावसायीकरण के लिए भाकृअनुप-प्याज एवं लहसुन निदेशालय अनुसंधान की प्रौद्योगिकियां

प्याज ग्रेडर

निदेशालय द्वारा हाथ से संचालित और मोटर चालित प्याज ग्रेडर विकसित किए गए हैं। एक कंपनी ने मोटराइज्ड प्याज ग्रेडर के निर्माण और विपणन के लिए एक गैर-अनन्य लाइसेंस लिया है, और सफलतापूर्वक व्यवसाय चला रही है।

प्याज भंडारण संरचना

निदेशालय द्वारा विकसित नीचे और बगल वाले प्राकृतिक रूप से हवादार प्याज भंडारण संरचना को महाराष्ट्र में प्याज के भंडारण के लिए व्यापक रूप से अपनाया गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार भी इन संरचनाओं के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।

नियंत्रित प्याज़ भंडारण संरचना

निदेशायल ने कला बायोटेक प्र.लि. के साथ मिलकर नियंत्रित प्याज़ भंडारण संरचना का निर्माण किया है। यह तापमान, आद्रता, तथा वायुपीजन को नियंत्रित करके प्याज़ के नुकसान को काम करने में उपयोगी है। इसका अनन्य लाइसेंस कला बायोटेक प्र.लि. को दिया गया है।

इन्क्यूबेशन के लिए चयन प्रक्रिया

इन्क्यूबेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं

↓

विधिवत भरे हुए पंजीकरण फॉर्म को जमा करना

↓

सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा समीक्षा

↓

आवेदक द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करना

↓

उद्भवन के लिए समीक्षा एवं अनुमोदन

↓

फीस जमा करना

↓

समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर

↓

एबीआई केंद्र, भाकृअनुप-प्याज एवं लहसुन निदेशालय अनुसंधान में इनक्यूबेटी में शामिल

इनक्यूबेटी के लिए शुल्क संरचना/शुल्क:

पंजीकरण शुल्क	किराया
रु.5000/- (एकमुश्त जमा)	रु. 5000/- (प्रति माह)
इन्क्यूबेशन के लिए शुल्क	कार्यस्थल और बुनियादी ढांचे के लिए

संपर्क

डॉ विजय महाजन
निदेशक, भाकृअनुप-प्याज एवं लहसुन निदेशालय
अनुसंधान, पुणे-410 505 (महाराष्ट्र), भारत
ईमेल-director.dogr@icar.gov.in
फ़ोन: (02135)-222026, 222697
फैक्स: (02135)-224056
वेबसाइट: https://dogr.icar.gov.in

डॉ. राजीव बी. काले
वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि विस्तार)
परियोजना अन्वेषक,
कृषि-व्यवसाय उद्भवन केंद्र
भाकृअनुप-प्याज एवं लहसुन निदेशालय अनुसंधान,पुणे
ई.मेल- abi.dogr@icar.gov.in / rajiv.kale@icar.gov.in
मोबाइल नंबर- 9521678587